प्रशिक्षण सह किसान जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिशानिर्देश

किसानों की प्रतिभागिता : कृषि-जैवविविधता के संरक्षण और चयन के माध्यम से नई किस्मों के विकास तथा परम्परागत किस्मों के परिरक्षण से जुड़े किसानों को आमंत्रित किया जाए।

1. किसानों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने साथ परम्परागत किस्मों के नमूनों को लाए और कार्यक्रम के दौरान एक छोटी प्रदर्शिनी आयोजित की जाए।
2. विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया जाए जैसे कृषि एवं बागवानी विभाग, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों तथा कृषि गतिविधियों से जुड़े अन्य अधिकारीगण।
3. प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री के उपयोग से रिसोर्स मेटीरियल वांछनीय रूप से स्थानीय भाषा में तैयार किया जाए।
4. पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 तथा किसानों के अधिकारों के प्रावधानों पर बल देते हुए प्राधिकरण की अन्य गतिविधियों पर व्याख्यान देने हेतु वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए।
5. किसानों के अधिकारों के प्रावधानों तथा आवेदन प्रपत्र भरने के संदर्भ में किसानों से चर्चा हेतु पर्याप्त समय दिया जाए।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व किसानों के किस्मों के पंजीकरण हेतु भरे गए आवेदनों को एकत्रित कर लिया जाए।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात, अच्छे फोटोग्राफ्स तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ रिपोर्ट यथाशीघ्र पीपीवी और एफआर अथॉरिटी कार्यालय में भेजा जाए।
8. किसानों के किस्मों के पंजीकरण हेतु सर्वाधिक आवेदनों को प्रस्तुत करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों को पर्याप्त रूप से सम्मान दी जाएगी।